चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”

दिनांक-08.10.2025

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं उनकी एण्टी रोमियों टीम महिला आरक्षी पारुल श्रीवास्तव एवं महिला आरक्षी रीना चौधरी द्वारा ग्राम सुन्दर नगर बोझ में,एण्टी रोमियों टीम थाना भरतकूप उ0नि0 श्री बलवन्त यादव एवं महिला आरक्षी प्रीति पाठक द्वारा थाना भरतकूप क्षेत्र के रौली कल्याणपुर गांव में, एण्टी रोमियों टीम थाना राजापुर उ0नि0 श्री अनिल सिंह,महिला आरक्षी आरती वर्मा एवं महिला आरक्षी नीलू यादव द्वारा थाना क्षेत्र राजापुर के ग्राम पटवरिया में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर

अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). सम्मान,स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में चलाई जा रही विशेष पहल के क्रम में आज दिनांक 08.10.2025 को कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय चित्रकूट की कक्षा 10 की छात्रा कु0 अंशू एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट बनाई गई।

इस दौरान छात्रा ने पुलिस अधीक्षक के पद के दायित्वों को समझा और अनुभव प्राप्त किया तथा अपने चैम्बर में जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके समयबद्ध त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस दौरान कुल 04 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

इस क्रम में 'एक दिन के लिये अपर पुलिस अधीक्षक' बनाई गई छात्रा कु0 प्रतिभा ने अपर पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट के रूप में अधिकारी के दायित्व को समझा और उसका अनुभव प्राप्त किया।

एक दिन के लिए बनाई गई पुलिस अधीक्षक कु0 अंशु ने कहा कि यह अवसर मेरे लिए गौरवपूर्ण है। इससे मुझे समझ आया कि पुलिस सेवा में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। मैं भविष्य में पुलिस अधिकारी बनकर समाज सेवा करना चाहूंगी।

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए है। चित्रकूट जैसे क्षेत्र में, जहां पहले डकैतों का आतंक था, आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं, यह गर्व का विषय है। मिशन शक्ति अभियान के तहत चित्रकूट जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बालिका शिक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बेटियों को शिक्षा एवं अवसर प्रदान कर समाज को मजबूत बनाएं।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा,पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहें।

(3). अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन,प्रयागराज के निर्देशन में आज दिनांक 08.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में साइबर अपराध से निपटने एवं साइबर अपराध की विवेचना/रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय से नियुक्त साइबर कमाण्डों उत्तम सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार 01 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।साइबर सेल,साइबर थाना एवं जनपद के समस्त थानों के साइबर हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को साइबर अपराध संबंधी नवीनतम तकनीकों एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त कर्मियों को थाना स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने,उनके त्वरित निस्तारण एवं हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रजिस्टर, शिकायतों के निस्तारण की स्थिति एवं प्राप्त प्रकरणों के अद्यतन अभिलेखों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली,प्रभारी साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(4).“मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”
दिनांक-08.10.2025
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”
सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे,उ0नि0 कृष्ण कुमार राय,मुख्य आरक्षी आदित्य कुमार एवं उनकी एण्टी रोमियों टीम महिला आरक्षी पारुल श्रीवास्तव एवं महिला आरक्षी रीना चौधरी द्वारा ग्राम बसनसिया में, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप एवं एण्टी रोमियों टीम उ0नि0 श्री बलवन्त यादव एवं महिला आरक्षी प्रीति पाठक द्वारा थाना भरतकूप क्षेत्र के टेटिहरा गांव में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनचौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी द्वारा वाद संख्या 273/25 अ0सं0 186/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारंटी अभियुक्त विकास कुमार उर्फ नेपाली पुत्र नवल किशोर निवासी पासी तिराहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 08.10.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2009 धारा 147,323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामलाल उर्फ अजय पुत्र जुगल किशोर निवासी ततवार जनपद चित्रकूट को 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 08.10.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2019 धारा 323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.छोटू खां पुत्र स्व0 नसीर खां 2.वाजिद खां पुत्र छोटू खां 3.शाहिद खां पुत्र छोटू 4.हड्डी खां पुत्र माजिद खां निवासीगण रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।